झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

अधिसूचना

संख्या : 02 / सं–2–48 / 2003 07 / क० झारखण्ड सरकार राज्य के लुप्तप्राय लोक–कलाओं एवं शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं:–

गुरू शिष्य परम्परा के अंतर्गत प्रशिक्षण नियमावली, 2021

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–

क) यह नियमावली " गुरू शिष्य परम्परा के अंतर्गत प्रशिक्षण नियमावली, 2021" कही जायेगी।

ख) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

ग) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ :–

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

2.1	**राज्य का तात्पर्य है:–**	झारखण्ड राज्य।
2.2	**सरकार का तात्पर्य है:–**	झारखण्ड सरकार।
2.3	**विभाग का तात्पर्य है :–**	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग।
2.4	**निदेशालय का तात्पर्य है:–**	सांस्कृतिक कार्य निदेशालय।
2.5	**झारखण्ड कला मंदिर का तात्पर्य है:–**	झारखण्ड कला मंदिर, होटवार, राँची
2.6	**गुरू का अर्थ है :–**	जनजातीय एवं पारम्परिक कलाओं से जुड़े वो गुरू, जो कम से कम 10 वर्षों से अपनी खास विद्या में कार्यरत एवं सक्रिय हों तथा उस क्षेत्र में उनकी पहचान हों अथवा शास्त्रीय कलाओं के वे गुरू, जो संबंधित विषयों / विद्याओं में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त हों तथा 10 वर्षों से उस विषय पर अनवरत रूप से कार्यरत हों। गुरूओ के चयन हेतु किसी प्रकार की उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी।

2.7 **शिष्य का तात्पर्य है :–** सम्बन्धित कला शैलियों में उपरोक्त गुरूओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के आकांक्षी हों एवं उन गुरूओं की अनुशंसा प्रशिक्षण हेतु प्राप्त हो तथा जिनकी आयु 40 वर्ष से कम हो।

2.8 **कला, शैली का तात्पर्य :–** झारखण्ड राज्य की जनजातीय लुप्तप्राय कला एवं इसके अन्तर्गत पारम्परिक संगीत, पारम्परिक नृत्य, पारम्परिक वाद्य यंत्र, पारम्परिक वेशभूषा, पारम्परिक लोकगायन, पारम्परिक लोक नाटक एवं लोक गायन इत्यादि जैसी विधाएँ शामिल होगी। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय कला के लुप्तप्राय विधाएँ शामिल होंगी।

3. **प्रशिक्षण का उद्देश्य** :– राज्य की लुप्त हो रही लोक/शास्त्रीय कलाओं का संरक्षण एवं विकास तथा ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करना तथा प्रचार–प्रसार करना।

4. **प्रशिक्षण हेतु विधा एवं अवधि** :– प्रारंभ में एक वित्तीय वर्ष में 02 विधाओं में एक–एक इकाई के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिसे आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जा सकेगा। प्रत्येक चयनित विधा की प्रशिक्षण अवधि गुरू द्वारा निर्धारित की जायेगी जो अधिकतम 02 (दो) वर्षों की होगी।

5. **गुरू शिष्य परम्परा केन्द्रः**– गुरू शिष्य परम्परा के अन्तर्गत परम्परा केन्द्र उसी स्थान पर प्रारम्भ की जायेगी जहां विधा के पारम्परिक/उच्च शिक्षण प्राप्त गुरू उपलब्ध हों। चयनित स्थल हेतु नियम 8.5 में गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

6. **गुरू शिष्य चयन संबंधी नियमः**

6.1 विज्ञापन के माध्यम से ऐसे गुरूओं से निधारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

6.2 प्राप्त आवेदनों में से समुचित गुरूओं का चयन झारखण्ड कला मंदिर, होटवार, राँची/राजकीय मानभूम छउ नृत्य कला केन्द्र, सिल्ली/राजकीय सरायकेला छउ नृत्य कला केन्द्र, सरायकेला एवं भविष्य में सरकार द्वारा गठित की जानेवाली अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के चयनित विषय विशेषज्ञों द्वारा अपने–अपने संबंधित कला क्षेत्र हेतु की जायेगी। इन विषय विशेषज्ञों का चयन नियम 8.5 में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

6.3 गुरू अपने लिये स्वयं सहयोगी का चयन करेंगे तथा इस पर नियम 8.5 में गठन समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। किसी प्रकार से विवादित व्यक्तियों का चयन इस योजना हेतु नहीं किया जायेगा।

6.4 चूँकि यह प्रशिक्षण विलुप्त हो रही कला विधाओं के लिए होगा। अतः विज्ञापन के माध्यम से प्रशिक्षुओं से आवेदन मांगे जायेंगे एवं स्वयं गुरू भी ऐसे प्रशिक्षुओं के नाम प्रस्तावित कर

सकेंगे। इनमें से प्रशिक्षुओं का चयन नियम 8.5 में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

6.5 प्रत्येक गुरू के अन्तर्गत अधिकतम 10 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। प्रशिक्षण स्थल का निर्धारण गुरूओं की जिम्मेदारी होगी, जो प्रशिक्षुओं के लिए हर प्रकार से उपयुक्त होना चाहिए। चयन स्थल पर नियम 8.5 में गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

6.6 प्रत्येक प्रशिक्षण विधा हेतु गुरू द्वारा विधि, वार्षिक कैलेण्डर, कार्यसूची, समय सारिणी एवं निश्चित स्वरूप तैयार कर प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा।

7. मानदेय निर्धारण, वाद्य यंत्रों की आपूर्त्ति तथा आवर्त्ती/अनावर्त्ती व्यय :– इस योजना के अन्तर्गत मानदेय निम्न रूप से निर्धारित किये जाते हैं:–

(क) गुरू का मानदेय :– कुल 12,000.00 (बारह हजार) रू० प्रतिमाह।

(ख) गुरू के सहयोगी का मानदेय :– कुल 7,500.00 (सात हजार पांच सौ) रू० प्रतिमाह।

(ग) प्रशिक्षुओं को आवासन/भोजनादि विविध व्यय के लिए सहयोग राशि स्वरूप कुल 3,000.00 (तीन हजार) रू० प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी को भुगतान किया जायेगा।

(घ) मानदेय के अतिरिक्त प्रत्येक चयनित विद्या में कम से कम 04 पारम्परिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम राशि रू० 1,00,000.00 (एक लाख) होगी।

7.1 उपरोक्त सभी भुगतान झारखण्ड कला मंदिर द्वारा की जायेगी।

8. प्रशिक्षण कार्य का मॉनिटरिंग:– प्रशिक्षण दिवस एवं कार्यावधि आदि के सम्बन्ध में गुरू एक वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर झारखण्ड कला मंदिर के माध्यम से इसे निदेशक, संस्कृति को उपलब्ध करायेंगे। आवश्यकतानुसार निदेशक, संस्कृति द्वारा समय–समय पर इन प्रशिक्षण कार्यों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जायेगा।

8.1 इस योजना हेतु झारखण्ड कला मंदिर समन्वय संस्थान होगी तथा गुरू प्रशिक्षण कार्य का मासिक कार्य प्रतिवेदन झारखण्ड कला मंदिर के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

8.2 प्रशिक्षण कार्य में त्रुटि पाये जाने की स्थिति में झारखण्ड कला मंदिर की अनुशंसा पर सांस्कृतिक कार्य निदेशालय विभाग के अनुमोदन से आवश्यक कार्रवाई करेगा।

8.3 प्रत्येक गुरू का प्रशिक्षण समाप्त होने पर प्रशिक्षित कलाकारों के साथ एक प्रदर्शन भी करना होगा जिसकी व्यवस्था गुरूओं के परामर्श से झारखण्ड कला मंदिर द्वारा किया जायेगा।

8.4 गुरूओं एवं प्रशिक्षुओं को तत्सम्बंधी प्रमाण–पत्र संबंधित संस्थानों के सूचना के आलोक में सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस हेतु झारखण्ड कला मंदिर समन्वय संस्थान होगी।

8.5 प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न संस्तुतियों एवं पर्यवेक्षण हेतु एक समिति का गठन झारखण्ड

कला मंदिर के अधीन निम्नरूपेण किया जाता हैः–

क) निदेशक, संस्कृति– **पदेन अध्यक्ष,** झारखण्ड कला मंदिर।

ख) सचिव, झारखण्ड कला मंदिर – **पदेन सचिव,** झारखण्ड कला मंदिर।

ग) प्रशिक्षण हेतु चयनित गुरूओं से इतर 02 विख्यात कलाकार जिनका चयन निदेशक, संस्कृति द्वारा किया जायेगा।

घ) आदिवासी संस्कृति एवं कला से संबंधित 03 उत्कृष्ठ संस्थानों से प्रति संस्था एक–एक प्रतिनिधि जिसका चयन निदेशक, संस्कृति द्वारा किया जायेगा।

9. यदि व्यावहारिक अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण के किसी विषय पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती है, तो झारखण्ड कला मंदिर की अनुशंसा पर निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा सरकारी नियमों के अन्तर्गत विभागीय सचिव से अनुमोदन प्राप्त कर कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना हेतु राशि का व्यय राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष 2205– कला एवं संस्कृति–लघु शीर्ष–101–ललित कला शिक्षा/796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष– 34–सांस्कृतिक कल्याण योजना एवं सांस्कृतिक प्रकाशन मद में कर्णाकिंत राशि से विकलनीय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 02/सं–2–48/2003 927 दिनांकः 16.07.2021

प्रतिलिपिः माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला खेल पदाधिकारी, झारखण्ड/निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 02/सं–2–48/2003 927 दिनांकः 16.07.2021

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।